तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 78/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रवान सविन बिव VS CMHO आदि

1/1/24

अपीलांट एंव रेस्पो. संख्या–1 की ओर से उनके, प्रतिनिधि उप.। बहस सुनी गई।

अपीलांट ने लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि संस्था की कोई कमी नहीं होने पर भी छः माह निकल जाने के बाद भी संस्था को अभी तक कार्यादेश नहीं दिया गया है। संस्था ने ई–टेंडर (भोजन, अल्पाहार, आवास एंव प्रशिक्षण हॉल व्यवस्था) हेतु सी.एम.एच.ओ. ऑफिस आवेदन किया था,जिसमें 2 संस्थाओं ने आवेदन किया उसमें से संस्था शिव शंकर सेवा को टेक्नीकल में सफल घोषित होने के बाद संस्था की वित्तीय बिड ऑनलाईन खोली गई,परन्तु विभाग की लापरवाही की वजह से अभी तक भी संस्था को अवार्ड नहीं दिया गया। मैं विभाग से अवार्ड लेने गया तो विभागीय अधिकारियों ने यह कहा कि हमारी गलती की वजह से 30 दिन निकल गये, हमको 30 दिन के अन्दर ही अवार्ड जारी करने का अधिकार है। अब तो कलेक्टर साहब को ही अधिकार है। जब मे कलेक्टर साहब से आकर मिला तो कलेक्टर मैडम ने कहा कि मैं आंखों की वजह से फाईलें नहीं देख पा रही हूं। एक महीना निकल जाने के बाद भी अवार्ड नहीं दिया गया, मैंने सी.एम.एच.ओ. ऑफिस जाकर पूछा तो ऑफिस वालों ने यह कहा कि आपका टेंडर निरस्त कर दिया गया है, मैंने पूछा क्यों कर दिया? तो ऑफिस वालों ने कहा कि हमारे अधिकार मे नही है।आपको अवार्ड नहीं दिया जा सकता है,क्योंकि हमारी समय सीमा समाप्त हो गई है,उसके बाद मैंने दिनांक 03.10.2023 को माननीय न्यायालय मे पांच हजार की डी.डी. लगाकर अपील कर दी,परन्तु 2 माह के उपरान्त भी आपके यहां से अपील का निस्तारण नहीं किया गया।इस वजह से मैं हाईकोर्ट गया जिसका आदेश आपके समक्ष 26.12.2023 को पेश कर दिया। मैंने जो होटल का किरायानामा विभाग में लगा रखा है जिसका विभाग ने भौतिक सत्यापन उनकी टीम के द्वारा करने के उपरान्त ही टेक्नीकल बिड में मुझे सफल घोषित किया गया था। मैं उस होटल का मासिक किराया 55000/– रु अक्षरे पचपन हजार रुपये+स्टॉफ की सैलेरी भी लगातार 7 महीने से भुगतान करता आ रहा हूँ,जिससे मुझे आर्थिक व मानसिक नुकसान हो रहा है। अतः संस्था की व मेरी दयनीय स्थिति को देखते हुए संस्था की अपील को स्वीकार करते हुए मुझे कार्यादेश दिलवाने की कृपा करे।

जवाबी बहस मे रेस्पो. संख्या–1 के प्रतिनिधि ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपापन संस्था पर राज्य लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम की धारा 4 एवं नियम 2013 के नियमों के अवमानना का आरोप निराधार एवं गलत है।उपापन संस्था द्वारा ई–निविदा सं.1/2023–24 क्रमांक एनएचएम/निविदा/2023–24/245 दिनांक 15.06.2023 को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग जयपुर के द्वारा दैनिक नवज्योति अखबार प्रकाशित करवाया,जिसकी तकनिकी बिड दिनांक 26.07.2023 को खोली जा कर पोर्टल पर उपलोड कराई गई। तकनिकि बिड में दो फर्मों ने भाग लिया जिसका मूल्यांकन समिति द्वारा किया,जिसमें प्रथम फर्म नाईस कम्प्युटर एण्ड एज्युकेशन वेलफेयर सोसायटी टोंक ने अन्य 2 प्रतिशत धरोहर

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राशि के पेटे अन्य अप्रसांगिक फर्म का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करने के कारण तथा उपापन वस्तु प्रशिक्षण संस्थान का स्थान एवं मालिकाना हक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण तकनिकि बिड में अपात्र घोषित किया गया। तकनिकि बिड में अपात्र फर्म नाईस कम्प्युटर एण्ड एज्युकेशन वेलफेयर सोसायटी टोंक ने शिकायत दर्ज कराई कि कार्यालय में तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक को शिकायत कर अपनी तकनिकि निविदा को स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसका निस्तारण निविदा क्रय समिति ने दिनांक 08.08.2023 को बैठक कर निर्णय में प्रार्थना को अस्वीकार करते हुये द्वितिय फर्म मैसर्स शिव शंकर सेवा संस्थान की एकल निविदा की वित्तीय बिड खोलने का निर्णय लिया। उपापन समिति द्वारा निविदा सं. 1/2023–24 की निविदा सेवा शर्तों के बिन्दु संख्या 65 में श्रीमान अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला कलेक्टर टोंक को प्रथम अपील अधिकारी/प्रथम उच्च अधिकारी निर्धारित किया गया है। उपापन समिति के निर्णय दिनांक 08.08.2023 के अनुसार दिनांक 10.08.2023 को तकनिकि बिड खोली गई तथा 1 एकल निविदा होने के कारण एवं प्राप्त दर गत वर्ष से अधिक होने के कारण तथा दर अनुमोदन में 30 दिवस कार्यालय की संक्षमता अवधि से अधिक होने के कारण वित्तीय बिड मय पत्रावली दर अनुमोदन हेतु प्रथम अपील अधिकारी/सक्षम अधिकारी श्रीमान अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला कलेक्टर महोदय टोंक को दिनांक 10.08.2023 को प्रस्तुत की गई। श्रीमान अध्यक्ष महोदय जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला कलेक्टर महोदय टोंक ने लेखाधिकारी कार्यालय जिला कलेक्टर एवं कोषाधिकारी महोदय टोंक से दिनांक 11.08.2023 को पत्रावली पर टिप्पणी बाबत भिजवाई गई। श्रीमान कोषाधिकारी टोंक एवं लेखाअधिकारी जिला कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा RTPP नियम 2013 40(2) के स्पष्टीकरण चाहा गया। उपरोक्त के क्रम में पालना कर पुनः श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पत्रावली भिजवाई गई है। उक्त के क्रम में लेखाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा उपापन कमेटी की प्राप्त अनुशंषा के आधार पर दर अनुमोदन किये जाने की अनुशंषा की। पत्रावली पर टिप्पणी लेकर अध्यन उपरान्त उपापन समिति के सदस्यों से वार्ता की। वार्ता अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने मौखिक निर्देशानुसार नवीन निविदा करने एवं प्रस्तुत निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु निर्दिष्ट किये जाने के फलस्वरूप निविदा समिति के निर्णय दिनांक 14.09.2023 के अनुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एनएचएम/निविदा/2023–24/799 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा निविदा प्रक्रिया निरस्त की गई और साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रतिनिधी ने यह भी अवगत करवाया की नवीन निविदा प्रकियाधीन है, परन्तु श्रीमान अति. मुख्य सचिव वित्त राजस्थान सरकार के आ. शा. टीप.प. 10 (41) वित्त/व्यय–4 एवं सा.वि. / 2022 जयपुर दिनांक 22.12.2023 के तहत अग्रिम स्वीकृति/निर्देशों तक निविदा कार्य व कार्यआदेश को स्थिगित/लंबित रखा जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। अतः निवेदन है कि निविदा प्रक्रिया में राजस्थान लोक

P-T-O

जिला कलेक्टर
टोंक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

उपापन पारदर्शता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अनुपालना की गई है। संवेदक को किसी प्रकार की जानबुझकर नुकसान पहुंचाने का कोई दुर्भाव से कार्य नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट एंव रेस्पो. संख्या–1 के प्रतिनिधि की बहस एंव लिखित बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्ट ने दिनांक 26.12.2023 को प्रार्थना पत्र के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की S.B. Civil Writ Petition No. 20740/2023 के निर्णय दिनांक 22.12.2023 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र स्थगन पर तीन दिवस व अपील पर सात दिवस में सुनवाई कर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये है। अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला कलेक्टर द्वारा दर अनुमोदन नही किये जाने के फलस्वरूप सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 14.09.2023 के क्रम में आदेश क्रमांक एनएचएम /निविदा/2023–24/799 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा निविदा प्रक्रिया निरस्त की गई।

दोराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रतिनिधी ने निवेदन किया कि निविदा 01/2023–24 निरस्त होने पर अल्पकालीन ई–निविदा संख्या 07/2023–24 दिनांक 13.12.2023 को जारी की गई है, परन्तु श्रीमान अति. मुख्य सचिव वित्त राजस्थान सरकार के अ.शा. टीप.प. 10 (41) वित्त/व्यय–4 एवं सा.वि./2022 जयपुर दिनांक 22.12.2023 के तहत अग्रिम स्वीकृति/निर्देशों तक निविदा कार्य व कार्यआदेश को स्थिगित/लंबित रखा जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। निविदा प्रक्रिया में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अनुपालना की गई है।
सक्षम स्तर से निविदा (भोजन, अल्पाहार, आवास एंव प्रशिक्षण हॉल व्यवस्था के लिए) की दर अनुमोदन नही होने व सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति टोंक द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आदेश क्रमांक एनएचएम /निविदा/2023–24/799 दिनाक 14.09.2023 से निविदा प्रक्रिया निरस्त की गई है। निविदाता की आवश्यक शर्ते के बिन्दु संख्या 21 में निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, टोंक को होने तथा उपापन प्रक्रिया किसी भी समय रद्द करने का अधिकार भी सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, टोंक के पास सुरक्षित होने के कारण सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति टोंक द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अपीलांट ने दिनांक 06.10.2023 को सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, टोंक के निर्णय दिनांक 14.09.2023 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन रहने के दौरान ही सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति टोंक ने चूकि दिनांक 14.09.2023 को निरस्त हुई निविदा के फलस्वरूप अल्पकालीन ई–निविदा संख्या 07/2023–24 दिनांक 13.12.2023 जारी की गई है। श्रीमान अति. मुख्य सचिव वित्त राजस्थान सरकार के अ.शा. टीप.प. 10 (41) वित्त/व्यय–4 एवं सा.वि. /2022 जयपुर दिनांक 22.12.2023 के तहत अग्रिम स्वीकृ ति/निर्देशों तक निविदा कार्य व कार्यआदेश को स्थिगित/लंबित

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रखा जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। अतः ई–निविदा संख्या 07/2023–24 दिनांक 13.12.2023 को भी निरस्त किया जाना न्यायोचित है एवं सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति टोंक को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर नये सिरे से नवीन निविदा की कार्यवाही की जावें।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर निविदा समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.2023 यथावत रखा जाता है और ई–निविदा संख्या 07/2023–24 दिनांक 13.12.2023 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक